रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 1987/ज्येष्ठ 20, 1909
No. 301] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 1987/JYAISTHA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 जून, 1987

अधिसूचना

सा.का.नि. 560(अ)/आवश्यक वस्तु/चीनी.—केन्द्रीय सरकार चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) की

अधिसूचना सं. सा.का.नि. 406 (अ)/आव. वस्तु/चीनी, तारीख 16 अप्रैल, 1987 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, मद (xvii) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात :—

(1)	(2)
(xviii) (क) निदेशक, खाद्य और आपूर्ति अपर निदेशक, खाद्य और आपूर्ति ; उपनिदेशक, खाद्य और आपूर्ति तथा सहायक निदेशक, खाद्य और आपूर्ति, पंजाब सरकार	पंजाब राज्य में अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर
(ख) पंजाब में जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक और जिला खाद्य और आपूर्ति अधिकारी	पंजाब राज्य में अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर

[सं. 1-4/87-एस.पी. वाई. (डी-2)]
बी. लक्ष्मी रतन, संयुक्त सचिव (चीनी)

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

New Delhi, the 10th June, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 560(E)/Ess. Com./Sugar:—In exercise of the powers conferred by clause 15 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) No. G.S.R. 406(E)/Ess. Com./Sugar, dated the 16th April, 1987, namely:—

In the Table to the said notification after item (xvii), the following item shall be added, namely:—

(1)	(2)
(xviii) (a) Director, Food and Supplies; Additional Director, Food and Supplies; Deputy Director, Food and Supplies, and Assistant Director, Food and Supplies, Government of Punjab.	Within their respective Jurisdiction in the State of Punjab.

(1)	(2)
(b) District Food and Supplies Controller and District Food and Supplies Officer in Punjab.	Within their respective jurisdiction in the State of Punjab.

[No. 1-4/87-SPY (D-II)]

V. Lakshmi Ratan, Jt. Secy. (Sugar)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987